कार्यालय तहसीलदार–सिकन्द्राबाद जिला– बुलन्दशहर

पत्रांक 1516(11) /र0का0 दिनांक– 13-1-16

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों/पोखरों को मत्स्य पालन हेतु दस वर्षीय पटटे पर उठाने के लिए पटटा शिविर का आयोजन तहसील सिकन्द्राबाद में नायब तहसीलदार सिकन्द्राबाद के न्यायालय में दिनांक 11.02.2016 को प्रातः 11:00 बजे किया जायेगा। पटटा शिविर में पटटा आवंटन की कार्यवाही शासनादेश सं0 3756–1–2/95 रा0–2 दिनांक 17.10.1995 के अनुसार पंजीकृत मछुआ समितियों/समुदाय /अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। पटटा नीलामी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार रू0 22,000/–प्रति हैक्टेअर प्रति वर्ष के हिसाब से बोली प्रारम्भ की जायेगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति खसरा, खतौनी व प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित समय व स्थान व नियत तिथि को उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हों। उपस्थित व्यक्तियों में से नीलामी की बोली के आधार पर मत्स्य पालन पटटा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। पटटा स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय सिकन्द्राबाद का होगा।

ग्रामों की सूची निम्न प्रकार है:–

क0सं0	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल (है0में)
1	2	3	4
1	जैतपुर	317	1.100
2	ककोड देहात	346	0.582
3	गाजीवीरूपुर	110	0.354
4	वीरखेडा	245	1.103
5	सिरोधन	491	1.366
6	चचोई	424	1.556
7	आशादेई उर्फ प्रानगढ	281	1.037
8	फरीदपुर	238क	0.790
9	अन्धैल	153	2.010
10	वैर बादशाहपुर	1723	0.405
11	नगला गोविन्दपुर	261	0.367
12	अलियाबाद	166	0.595
13	मकरन्दपुर उर्फ फतहपुर	149	0.253
14	दादूपुर नीला	188	0.670

15	मनोवास	203	0.392
		300	0.405
16	शहपानी	232	0.974
		265	0.506
17	लालपुर	131	0.564

तहसीलदार
सिकन्द्राबाद

पत्रांक 1516(11) /र0का0/मत्स्य पालन पटटा/2015–16 दिनांक 13-1-16

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2. उपजिलाधिकारी महोदय ,सिकन्द्राबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार बुलन्दशहर/खुर्जा/स्याना/डिबाई/अनूपशहर/शिकरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ।
4. सहायक निदेशक मत्स्य, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया नेट पर डालने का कष्ट करें।
6. अपर जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
7. राजस्व निरीक्षक सिकन्द्राबाद/चोला को इस निर्देश के साथ कि वह अपने क्षेत्र से सम्बन्धित उक्त ग्रामों के लेखपालों को इस विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार अपने–अपने ग्रामों में कराने तथा मुनादी कराने तथा मुनादी की प्रति निर्धारित पटटा शिविर की तिथि को प्रस्तुत करने हेतु।
8. नायब तहसीलदार सिकन्द्राबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान/अध्यक्ष भूमि प्रबन्ध समिति को सूचनार्थ।

तहसीलदार
सिकन्द्राबाद।